

**उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि०. द्वारा संचालित स्वतः रोजगार
योजना(बैंक पोषित) विकलांग हेतु आवेदन प्रपत्र.
योजना का नाम—स्वतः रोजगार योजना—अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति.**

आवेदन संख्या :..... आवेदन तिथिवित्तीय वर्ष.....
आवेदनकर्ता का विवरण:—

आवेदक के हस्ताक्षर.

1—बी.पी.एल.नम्बर.या बी.पी.एल.राशन कार्ड या वार्षिक आय.....

2—आवेदनकर्ता का नाम.....

3—आवेदक के पिता/पति का नाम.....

4—माता का नाम.....

5—जन्म तिथि.....दिन.....माह.....वर्ष

6—लिंग (पुरुष / महिला).....

7—रहने वाली जगह (शहरी / ग्रामीण).....

8—सामाजिक समूह / उपजाति.....

9—स्थाई पता

ग्राम.....पोस्ट.....

तहसील.....जनपद.....

10—आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणी—कृषि / कृषि से सम्बन्धित / उद्योग / व्यापार.....

परियोजना विवरण:—

क) परियोजना का नाम :—.....

ख) परियोजना की लागत:—.....

ग) परियोजना का स्थान :—.....

घ) परियोजना का विवरण :—.....

बैक का नामशाखा.....

टिप्पणी

आवेदक के हस्ताक्षर.

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

चयनित / सर्वेक्षित संस्था वर्ष
एस.सी.पी. 1 क्रमांक संख्या बैक प्रेषित की तिथि उक्त प्रार्थना पत्र
दिनांक को प्राप्त हुआ है तथा कार्यालय से उपलब्ध लाभार्थी पंजी / एस.सी.पी.के
पृष्ठ संख्या पर दर्ज कर लिया गया। उक्त आवेदन पत्र स्वीकृत करने की संस्तुति की
जाती है। चयन समिति द्वारा संस्तुत योजना की लागत
बैक ऋण मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृत है।

ग्राम विकास अधिकारी / सहायक समाज कल्याण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / सहायक प्र0 / जिला प्र0

(बैक प्रयोग हेतु)

श्री / श्रीमती / कु0निवासी
की योजना हेतु शब्दो मे
रु का बैक ऋण प्रतिशत
ब्याज पर दिनांक को स्वीकृत किया जाता है। इस ऋण की अदायगी
मासिक / त्रैमासिक किस्तो मे की जाती है।
स्वीकृत योजना की लागत रु मानते हुए बैक ऋण तथा निगम
द्वारा मार्जिन मनी ऋण रु एव रु शायकीय अनुदान
अवमुक्त की जाये।

बैक शाखा प्रबन्धक के मुहर सहित हस्ताक्षर

दिनांक